कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

–::–द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना–::–

क्रमांक 2079 / यू.पी.एस. बैटरी क्रय नस्ती / देवास, दिनांक– 12-07-23

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास स्थापना के उपयोग हेतु यू.पी.एस. बैटरी क्रय किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	बैटरियों की संभावित संख्या / नग	रिमार्क
1	कुल 68 नग यू.पी.एस. इमरसन कंपनी क्षमता 1 के.वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	136	कम से कम 01 वर्ष की वारंटी पुरानी बैटरी के बॉयबेक मूल्य के साथ
2	कुल 05 नग यू.पी.एस. इमरसन कंपनी क्षमता 800 वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	10	
3	कुल 35 नग यू.पी.एस. न्यूमेरिक कंपनी मॉडल डिजिटल 1000 वी.ए. यू.पी.एस. की बैटरी (समकक्ष कंपनी)	70	
4	कुल 19 नग यू.पी.एस. सायबर पॉवर कंपनी यू.टी. मॉडल 1500 वी.ए. क्षमता यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	38	
5	कुल 30 नग यू.पी.एस. सायबर पॉवर कंपनी मॉडल 2200 वी.ए. यू.पी.एस. के लिए बैटरी (समकक्ष कंपनी)	60	

उक्त यू.पी.एस. हेतु प्रत्येक के लिए 2–2 बैटरी क्रय किये जाने हेतु बैटरी विक्रेताओं से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक बैटरी विक्रेता, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 25.07.2023 के सायं 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में "कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के नाम आवक–जावक अनुभाग में निविदा (कोटेशन)मय केटलॉग सहित तथा जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख करते हुये प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं / कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12-7-23

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

::द्वितीय निविदा हेतु आवेदन–पत्र::

क्र.		
01	विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर / मोबाईल नंबर	
03	विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था का पंजी / जी.एस.टी. क्रमांक	
05	क्या विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था देवास की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था हो तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता / व्यापारी / निर्माता संस्था का बैंक का नाम / खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी. कोड सहित	
09	वित्तीय प्रस्ताव :–	
	ए. यू.पी.एस. बैटरी का मॉडल निर्माण वर्ष	
	बी. प्रति नग राशि	
	सी.. जी.एस.टी.	
	डी. प्रतिनग कुल राशि रुपये	
	इ. पुरानी बैटरी का स्क्रेप मूल्य	
	एफ. प्रतिनग **शुद्ध राशि**	

निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

//निविदा शर्ते//

क. Q / लेखा / 2023 देवास, दिनांक 12/07/2023

01. बैटरी सामग्री हेतु प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा के साथ राशि रुपये 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र) OTC चालान द्वारा शासकीय 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 मद में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जावे एवं शर्तो व सामग्री की सूची रखी जावे। आवेदन-पत्र की राशि रुपये 1000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
02. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि के रुप में 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। जिस निविदाकार की निवदि स्वीकार की जावेगी, उसे सामग्री की आपूर्ति व इन्स्टालेशन करने के 01 माह बाद लौटाई जावेगी। शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
03. आवेदन-पत्र की राशि एवं धरोहर राशि के बिना प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
04. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा विगत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
05. सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रुप से निविदा में किया जावे।
06. क्रय की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव में किया जावेगा। उक्त संबंध में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई पृथक परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।
07. क्रय की गई सामग्री को 01 वर्ष की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला न्यायालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
08. सामग्री इन्स्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
09. मांग का आदेश करने से 15 दिवस के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
10. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
11. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
12. उपरोक्त सामग्री के क्रय की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को होगा।

13. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरुप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

14. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रुप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्नः– निविदा फार्म

12.7.24

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)